खबर संक्षेप

धान खरीद 25 से पहले शुरू करने की मांग

चंडीगढ़। भाकियू-नेता राकेश बैंस ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। कई मंडियों में धान काफी मात्रा में आ चुका है और खरीद एक अक्टूबर से शुरू होती है, जो काफी देर से आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को धान की खरीद 25 से पहले शुरू कर दी देनी चाहिए।

26 तक अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनेगा

चंडीगढ़। सरकार ने बधिर व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह के अवसर पर लोगों को बहरेपन से बचाव के लिए आगाह किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के प्रवक्ता ने बताया कि 20 से 26 सितंबर, तक बधिर व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है।

इनेलो नेता सिहाग ने अपना ज्वाइन की

गढ़। नारनौल से इनेलो के पूर्व सभा उम्मीदवार राजेश सरपंच ने अपने समर्थकों जेजेपी प्रधान महासचिव य सिंह चौटाला की में जेजेपी ज्वाइन की। व सिहाग से लगातार ना के सरपंच भी हैं।

विभाग उत्पादों नी लगाएगा

राइट टू सर्विस कमीशन के आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई

नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी नपेंगे

हरिभूमि न्यूज फरीदाबाद

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि फिलहाल सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में 546 सेवाएं हैं और जल्द ही 10 अन्य सेवाओं को भी आरटीएस के दायरे में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जल्द ही एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें देरी के मामलों में आवेदक फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नागरिक आरटीएससी-एचआरवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी अपनी शिकायत आयोग को कर सकते हैं। गुप्ता फरीदाबाद में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय वर्कशॉप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा जिले के गणमान्य नागरिकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही आयुष्मान भारत, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र में संशोधन, सीवरेज कनेक्शन, खाद व फसल विविधिकरण से जुड़ी योजनाओं, मनरेगा, स्वामित्व योजना के तहत किए गए

- अधिनियम के दायरे में 546 सेवाएं, जल्द दस और जुड़ जाएगी: गुप्ता

फरीदाबाद। वर्कशॉप में अधिकारियों को जानकारी देते आयुक्त टीसी गुप्ता।

अब तक 250 अधिकारियों को नोटिस

टी.सी. गुप्ता ने निर्देश दिए कि सेवाओं के निपटान के मामले में विभागों का स्कोर 10 में से कम से कम 9.9 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिकों से सेवाओं के संबंध में ली जाने वाली फीडबैक के मामले में भी 5 में से कम से कम 4 अंक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी विभाग वर्ष 2020 तक की लंबित सेवाओं के मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित करें। साथ ही, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के मामले में रिजेक्शन रेट को भी कम से कम किया जाए। यदि इन बिंदुओं पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें समन भेजकर मुख्यालय बुलाया जाएगा। ऐसे मामलों में 20 हजार रुपये तक की पैनल्टी लग सकती है और यदि किसी अधिकारी पर 3 बार इस प्रकार की पेनल्टी लग जाती है तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक लापरवाही के मामलों में आयोग ने 250 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजी जाएगी कर्मचारियों की शिकायत

चंडीगढ़। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आफिस और अंबाला में आने वाली शिकायतों को लेकर कहा है कि इनमें पुलिस अधिकारियों, कर्मियों के मामले चिन्हित कर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भेजे जाएंगे। विज ने इस संबंध में मातहत अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जानकारी अनुसार गृहमंत्री अनिल विज के चंडीगढ़ स्थित आफिस और शनिवार को लगने वाले अंबाला छावनी के खुले दरबार के दौरान बड़ी संख्या में शिकायत पुलिस कर्मियों, पुलिस अफसरों के विरुद्ध आती हैं। जिनको लेकर गृहमंत्री अब से पहले इस संबंध में जांच आदि के लिए खुद ही पुलिस अफसरों को लिखते रहे थे। लेकिन आने वाले समय में इनकी निष्पक्ष जांच व सुनवाई, कार्रवाई के लिए इन्हें पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। विज ने अपने स्टाफ और अफसरों को स्पष्ट कर दिया है कि इस डाक में वे इस तरह के मामलों को अलग कर लें, जिनकी सुनवाई हरियाणा सरकार द्वारा गठित पुलिस कंप्लेंट अथारिटी में की जा सकती है। इस तरह से

- लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर गृहमंत्री की सख्ती

छात्रा के परिजनों की याचिका

निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग

चंडीगढ़। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड के दो दोषियों को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक ने दोषी करार आजीवन कारावास की जो सजा सुनवाई थी, पीड़ित पक्ष ने दोषियों को फांसी और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार व आरोपित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

सोमवार को हाई कोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी पर आधारित बेंच के सामने निकिता के परिवार के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के तीन में से दो आरोपितों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जोकि कम है। इन सभी ने उसकी निकिता की सरेआम हत्या की थी, ऐसे में दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इस हत्याकांड का तीसरे आरोपी अजरूद्दीन को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया जोकि सही नहीं है। ऐसे में तीसरे आरोपी को भी हत्या का दोषी करार दे सजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही इस हत्या का मुआवजा दिए जाने की भी हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट में अपील निकिता के भाई नवीन की तरफ से दायर की गई है।

- पीड़ित परिवार की मुआवजा देने की मांग
- हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया

आंदोलन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा

पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी, जज नहीं होने के